

सोमवार, 25 जुलाई, 2022/03 श्रावण, 1944 (शक)

**न्यूनतम मजदूरी**

1371. श्री रोड़मल नागर:

श्री सी.पी.जोशी:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने बढ़ती मुद्रास्फीति के बीच देश भर में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि के संबंध में कोई निर्णय लिया है;
- (ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य की न्यूनतम मजदूरी का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है और क्या न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की निगरानी के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री**

**(श्री रामेश्वर तेली)**

(क) और (ख): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत अनुसूचित रोजगारों में नियोजित कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी तय, समीक्षा और संशोधित करने के लिए, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में, समुचित सरकारें हैं। बढ़ते मूल्यों का ध्यान रखने के लिए, केंद्र सरकार औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से प्रभावी प्रत्येक छह महीने में न्यूनतम मजदूरी की मूल दरों पर परिवर्ती महंगाई भत्ते (वीडीए) को संशोधित करती है। वी.डी.ए. पिछली बार दिनांक 01.04.2022 को संशोधित किया गया था। केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगारों में नियोजित कामगारों को देय वीडीए में वृद्धि के कारण मजदूरी की दरों में वृद्धि को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है। राज्य क्षेत्र में अनुसूचित नियोजनों में मजदूरी की न्यूनतम दरों के आवधिक संशोधन का ब्यौरा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के तहत, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में मजदूरी का भुगतान न किए जाने / कम मजदूरी का भुगतान किए जाने संबंधी उपबंधों सहित मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों को लागू करने के लिए समुचित सरकारें हैं। केंद्रीय क्षेत्र में इनका प्रवर्तन मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है, जिन्हें आमतौर पर केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) के रूप में नामोद्दिष्ट किया जाता है और राज्य क्षेत्र में इनका अनुपालन राज्य प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। नामोद्दिष्ट निरीक्षण अधिकारी नियमित निरीक्षण करते हैं और मजदूरी/न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने या कम भुगतान करने का पता चलने की स्थिति में, वे नियोक्ताओं को मजदूरी की कमी का भुगतान करने का निर्देश देते हैं। अनुपालन न किए जाने के मामले में, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 22 के तहत निर्धारित दंडिक उपबंधों का सहारा लिया जाता है। केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी को लागू करने के संबंध में ब्यौरा अनुबंध-1। पर संलग्न है। राज्य क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों को लागू करने का ब्यौरा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

\*\*

\*\*\*\*\*

“न्यूनतम मजदूरी” के संबंध में पूछे गए, दिनांक 25.07.2022 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1371 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

दिनांक 19.01.2017 से 01.04.2022 तक वीडिए में संशोधन के कारण न्यूनतम मजदूरी की दरों में वृद्धि को दर्शाने वाला विवरण

अनुसूचित नियोजन	कामगार की श्रेणी	मजदूरी की दर जिसमें प्रतिदिन का वीडिए (रुपये में) शामिल है					
		क्षेत्र क		क्षेत्र ख		क्षेत्र ग	
		19.01.2017	01.04.2022	19.01.2017	01.04.2022	19.01.2017	01.04.2022
कृषि	अकुशल	333	423	303	385	300	382
	अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	364	461	335	425	307	389
	कुशल/लिपिकीय	395	502	364	461	334	424
	अतिकुशल	438	554	407	516	364	461
झाड़ू लगाना एवं सफाई करना+	अकुशल	523	663	437	553	350	443
पहरा एवं निगरानी	बिना शस्त्र के (प्रशिक्षण द्वारा उन्नयन करके कुशल बनाना)	637	806	579	734	494	625
	शस्त्र के साथ (पर्यवेक्षण के लिए उन्नयन करके उच्च कुशलता प्राप्त बनाना)	693	876	637	806	579	734
लादना एवं उतारना #	अकुशल	523	663	437	553	350	443
निर्माण ^	अकुशल	523	663	437	553	350	443
	अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	579	734	494	625	410	519
	कुशल/लिपिकीय	637	806	579	734	494	625
	अति कुशल	693	876	637	806	579	734
		19.01.2017			01.04.2022		
पत्थर खानों में पत्थर तोड़ने और पत्थर पिसाई में कार्यरत मजदूर	1. उत्खनन एवं 50 मीटर लीड/1.5मीटर ऊंचाई सहित अधिक भार को हटाने में :*						
	(क) नरम मिट्टी		351			447	
	(ख) पत्थर सहित नरम मिट्टी		531			672	
	(ग) चट्टान		703			890	
	2. 50 मीटर लीड/1.5 मीटर ऊंचाई सहित छांटे गये पत्थरों को हटाने एवं जमा करने में		283			359	
	3. निम्न श्रेणी के आकार में पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर पीसने के लिए --						
(क) 1.0 इंच से 1.5 इंच		2171			2736		
(ख) 1.5 इंच से ऊपर 3.0 इंच तक		1857			2340		

	(ग) 3.0 इंच से ऊपर 5.0 इंच तक	1088	1374		
	(घ) 5.0 इंच से ऊपर	893	1129		
गैर-कोयला खानें		भूमि के ऊपर { मजदूरी की दर जिसमें प्रतिदिन का वीडिए (रुपये में) शामिल है }		भूमि के नीचे { मजदूरी की दर जिसमें प्रतिदिन का वीडिए (रुपये में) शामिल है }	
		19.01.2017	01.04.2022	19.01.2017	01.04.2022
	अकुशल	350	443	437	553
	अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	437	553	523	663
	कुशल/लिपिकीय	523	663	610	772
अति कुशल	610	772	683	862	

\*प्रति 2.831 क्यूबिक मीटर अथवा 100 क्यूबिक फीट

\*\* प्रति ट्रक 5.662 क्यूबिक मीटर अथवा 200 क्यूबिक फीट भार

+ सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के तहत निषिद्ध गतिविधियों को छोड़कर साफ और सफाई के कार्य में लगे कर्मचारी।

# रेलवे के माल शेड, पार्सल कार्यालयों में लोडिंग और अनलोडिंग के कार्य में लगे कर्मचारी; (ii) अन्य गुड्स शेड, गोदाम, गोदाम और अन्य समान रोजगार; (iii) गोदी और बंदरगाह; और (iv) हवाई अड्डों में यात्री सामान और कार्गो (अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों) ले जाने वाले कर्मचारी।

^ भूमिगत विद्युत, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विदेश से संचार संबंधी केबल और इसी तरह के अन्य भूमिगत केबल बिछाने के कार्य, विद्युत लाइन, जल आपूर्ति लाइनों और सीवरेज पाइप लाइन को बिछाने सहित सड़कों या रनवे के निर्माण या रखरखाव या भवन संचालन में लगे कर्मचारी।

\$ जिप्सम खान, बैराइट्स खान, बॉक्साइट खान, मैंगनीज खान, चाइना क्ले खान, कायनाइट खान, तांबा खान, मिट्टी की खान, मैग्नेसाइट खान, व्हाइट क्ले खान, पत्थर खान, स्टीटाइट खान (सोप स्टोन्स तथा टेल्क बनाने वाली खदान सहित) के रोजगार में लगे कर्मचारी), गेरू की खदान, अभ्रक की खदानों, आग की मिट्टी की खदानों, क्रोमाइट की खदानों, क्वार्टजाइट की खदानों, क्वार्ट्ज की खदानों, सिलिका की खदानों, ग्रेफाइट की खदानों, फेलस्पार की खदानों, लेटराइट की खदानों, डोलोमाइट की खदानों, रेड ऑक्साइड की खदानों, वोल्फ्राम की खदानों, लौह अयस्क की खदानों, ग्रेनाइट खदानों, रॉक फॉस्फेट खदानों, हेमेटाइट खदानों, संगमरमर और कैल्साइट खदानों, यूरेनियम खदानों, अभ्रक खदानों, लिग्नाइट खदानों, बजरी खदानों, स्लेट और मैग्नेटाइट खदानों में काम करने वाले कर्मचारी।

\*\*\*\*\*

## क्षेत्र का वर्गीकरण

क्षेत्र - "क"					
अहमदाबाद	(यूए)	हैदराबाद	(यूए)	फरीदाबाद परिसर	
बेंगलुरु	(यूए)	कानपुर	(यूए)	गाज़ियाबाद	
कोलकाता	(यूए)	लखनऊ	(यूए)	गुडगाँव	
दिल्ली	(यूए)	चेन्नई	(यूए)	नोएडा	
गेटर मुंबई	(यूए)	नागपुर	(यूए)	सिकंदराबाद	
नवी मुंबई		पुणे	(यूए)		
क्षेत्र - "ख"					
आगरा	(यूए)	ग्वालियर	(यूए)	पोर्ट ब्लेयर	(यूए)
अजमेर	(यूए)	हुबली, धारवाड़	(नगर निगम)	पुदुचेरी	(यूए)
अलीगढ़	(यूए)	इंदौर	(यूए)	रायपुर	(यूए)
इलाहाबाद	(यूए)	जबलपुर	(यूए)	राउरकेला	(यूए)
अमरावती	(नगर निगम)	जयपुर	(नगर निगम)	राजकोट	(यूए)
अमृतसर	(यूए)	जालंधर	(यूए)	रांची	(यूए)
आसनसोल	(यूए)	जालंधर-कैंट.	(यूए)	सहारनपुर	(नगर निगम)
औरंगाबाद	(यूए)	जम्मू	(यूए)	सालेम	(यूए)
बरेली	(यूए)	जामनगर	(यूए)	सांगली	(यूए)
बेलगाम	(यूए)	जमशेदपुर	(यूए)	शिलांग	
भावनगर	(यूए)	झांसी	(यूए)	सिलीगुड़ी	(यूए)
भिवंडी	(यूए)	जोधपुर	(यूए)	सोलापुर	(नगर निगम)
भोपाल	(यूए)	कन्नूर	(यूए)	श्रीनगर	(यूए)
भुवनेश्वर	(यूए)	कोच्चि	(यूए)	सूरत	(यूए)
बीकानेर	(नगर निगम)	कोल्हापुर	(यूए)	तिरुवनंतपुरम	(यूए)
बोकारो स्टील सिटी	(यूए)	कोल्लम	(यूए)	त्रिशूर	(यूए)
चंडीगढ़	(यूए)	कोटा	(नगर निगम)	तिरुचिरापल्ली	(यूए)
कोयंबटूर	(यूए)	कोझिकोड	(यूए)	तिरुपूर	(यूए)
कटक	(यूए)	लुधियाना	(नगर निगम)	उज्जैन	(नगर निगम)
देहरादून	(यूए)	मदुरै	(यूए)	वडोदरा	(यूए)
धनबाद	(यूए)	मलप्पुरम	(यूए)	वाराणसी	(यूए)
दुर्गापुर	(यूए)	मालेगांव	(यूए)	वसई- विरार शहर	(नगर निगम)
दुर्ग-भिलाई नगर	(यूए)	मंगलौर	(यूए)	विजयवाड़ा	(यूए)
इरोड	(यूए)	मेरठ	(यूए)	विशाखापत्तनम	(नगर निगम)
फिरोजाबाद		मुरादाबाद	(नगर निगम)	वारंगल	(यूए)
गोवा		मैसूर	(यूए)	गोरखपुर	(यूए)
नांदेड़ वाघाला	(नगर निगम)	ग्रेटर विशाखापत्तनम	(नगर निगम)	नासिको	(यूए)
गुलबर्गा	(यूए)	नेल्लोर	(यूए)	गुंटूर	(यूए)
पंचकुला	(यूए)	गुवाहाटी	(यूए)	पटना	(यूए)
<p>क्षेत्र 'ग' में वे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जिनका उल्लेख इस सूची में नहीं है।  <b>एनबी :</b> यूए शहरी समूह के लिए दिया गया है।</p>					

'न्यूनतम मजदूरी' के संबंध में पूछे गए, दिनांक 25.07.2022 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1371 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत किए गए निरीक्षण, अभियोजन और दोषसिद्धि का ब्यौरा

विवरण	किए गए निरीक्षणों की संख्या	पाई गई अनियमितताओं की संख्या	सुधार की गई अनियमितताओं की संख्या	शुरू किए गए अभियोजनों की संख्या	दोष-सिद्धियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
2019-20	7690	59950	23397	1609	412
2020-21	2114	13949	7566	501	174
2021-22	5022	35983	8726	492	167

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत दावा के मामले

वर्ष	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत दर्ज दावे			
	दायर	निर्णीत	अर्थदंड	लाभान्वित कामगारों की संख्या
1	2	3	4	5
2019-20	3470	754	217981002/- रुपये	5297
2020-21	3763	1334	270202177/- रुपये	7631
2021-22	5297	2102	177722490/- रुपये	7487

\*\*\*\*\*

**GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT  
LOK SABHA  
UNSTARRED QUESTION NO. 1371  
TO BE ANSWERED ON 25.07.2022**

**MINIMUM WAGES**

**†1371. SHRI RODMAL NAGAR:  
SHRI CHANDRA PRAKASH JOSHI:**

**Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:**

- (a) whether the Government has taken any decision regarding increase in minimum wages for the labourers across the country amid rising inflation;**
- (b) if so, the details of category-wise minimum wages of each State and whether the minimum wages have been increased and if so, the details thereof;**
- (c) whether there is any kind of system for the monitoring to ensure the payment of minimum wages; and**
- (d) if so, the details thereof?**

**ANSWER**

**MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT  
(SHRI RAMESWAR TELI)**

**(a) & (b): Under the provisions of the Minimum Wages Act, 1948, both the Central Government and the State Governments are appropriate Governments to fix, review and revise the minimum wages of the employees employed in the scheduled employments under their respective jurisdictions. In order to take care of the rising prices, the Central Government revises the Variable Dearness Allowance (V.D.A) on basic rates of minimum wages every six months effective from 1st April and 1st October of every year on the basis of Consumer Price Index for Industrial workers. V.D.A. was last revised w.e.f. 01.04.2022. A statement showing increase in the rates of wages on account of increasing V.D.A payable to the employees engaged in the scheduled employments in the Central Sphere is at Annexure I. The details of periodic revision of minimum rates of wages in scheduled employments in the State sphere are not centrally maintained.**

**Contd..2/-**

**(c) & (d): Both the Central Government and the State Governments are the appropriate Governments to enforce the provisions of the Payment of Wages Act, 1936, and the Minimum Wages Act, 1948, including the provisions relating to non-payment of wages/minimum wages, in their respective jurisdictions. In the Central sphere the enforcement is done through the Inspecting Officers of the Chief Labour Commissioner (Central) commonly designated as Central Industrial Relations Machinery (CIRM) and the compliance in the State Sphere is ensured through the State Enforcement Machinery. The designated inspecting officers conduct regular inspections and in the event of detection of any case of non-payment or underpayment of wages/minimum wages, they direct the employers to make payment of the shortfall of wages. In case of non-compliance, penal provisions prescribed under Section 22 of the Minimum Wages Act are taken recourse to. The details in regard to enforcement of the minimum wages in the Scheduled employments in the Central Sphere are at Annexure II. Details of enforcement of the provisions of the Minimum Wages Act, 1948, in the State sphere are not centrally maintained.**

\*\*

\*\*\*\*\*

## ANNEXURE REFERRED TO IN REPLY TO PART (a) &amp; (b) OF LOK SABHA UN-STARRED QUESTION No. 1371 FOR 25.07.2022 REGARDING MINIMUM WAGES.

## STATEMENT SHOWING INCREASED RATES OF MINIMUM WAGES ON ACCOUNT OF REVISION OF VDA FROM 19.01.2017 TO 01.04.2022.

Scheduled Employment	Category of Workers	Rates of Wages including V.D.A per day (in Rs.)					
		Area A		Area B		Area C	
		19.01.2017	01.04.2022	19.01.2017	01.04.2022	19.01.2017	01.04.2022
Agriculture	Unskilled	333	423	303	385	300	382
	Semi-skilled/Unskilled Supervisory	364	461	335	425	307	389
	Skilled/Clerical	395	502	364	461	334	424
	Highly-skilled	438	554	407	516	364	461
Sweeping and Cleaning+	Unskilled	523	663	437	553	350	443
Watch and Ward	Without Arms (Upgraded to skilled with training)	637	806	579	734	494	625
	With Arms( Upgraded to highly skilled for supervision)	693	876	637	806	579	734
Loading & Unloading#	Unskilled	523	663	437	553	350	443
Construction ^	Unskilled	523	663	437	553	350	443
	Semi-skilled/Unskilled Supervisory	579	734	494	625	410	519
	Skilled/Clerical	637	806	579	734	494	625
	Highly-skilled	693	876	637	806	579	734
		19.01.2017			01.04.2022		
Workers engaged in Stone Mines for Stone Breaking and Stone Crushing	1.Excavation & removal of over burden with 50 meters lead/1.5 meters lift:*						
	(a) Soft Soil	351			447		
	(b) Soft Soil with Rock	531			672		
	(c) Rock	703			890		
	2. Removal and Staking of rejected stones with 50 metres lead/1.5metres lift*						
		283			359		
	3. Stone breaking or Stone Crushing for the stone size of**						
	(a) 1.0 inch to 1.5 inches	2171			2736		
	(b) Above 1.5 Inches to 3.0 Inches	1857			2340		
	(c) Above 3.0 Inches to 5 Inches	1088			1374		
(d) Above 5.0 Inches	893			1129			
Non - Coal Mines \$		Above Ground {Rates of Wages including V.D.A per day (in Rs.)}			Below Ground {Rates of Wages including V.D.A per day (in Rs.)}		
		19.01.2017	01.04.2022	19.01.2017	01.04.2022		
	Unskilled	350	443	437	553		
	Semi-skilled/Unskilled Supervisory	437	553	523	663		
	Skilled/Clerical	523	663	610	772		
	Highly-skilled	610	772	683	862		

\*Per 2.831 cubic meters or 100 cubic feet

\*\* Per truck load of 5.662 cubic meters or 200 cubic feet



+Employees engaged in the employment of Sweeping and Cleaning excluding Activities prohibited under the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993.

#Employees engaged in the employment of Loading and Unloading in (i) Goods Sheds, Parcel Offices of Railways; (ii) Other Goods Sheds, Godowns, Warehouses and other similar employments; (iii) Docks and Ports; and (iv) Passengers Goods and Cargo Carried out at Airports (Both International and Domestic).

^Employees engaged in the employment of construction or maintenance of Roads or Runways or in Building Operations including laying down Underground Electric, Wireless, Radio, Television, Telephone, Telegraph and Overseas Communication Cables and similar other Underground Cabling Work, Electric Lines, Water Supply Lines and Sewerage Pipe Lines.

\$Employees engaged in the employment of Gypsum Mines, Barytes Mines, Bauxite Mines, Manganese Mines, China Clay Mines, Kyanite Mines, Copper Mines, Clay Mines, Magnesite Mines, White Clay Mines, Stone Mines, Steatite Mines (including the mines producing Soap Stones and Talc), Ochre Mines, Asbestos Mines, Fire Clay Mines, Chromite Mines, Quartzite Mines, Quartz Mines, Silica Mines, Graphite Mines, Felspar Mines, Laterite Mines, Dolomite Mines, Red Oxide Mines, Wolfram Mines, Iron Ore Mines, Granite Mines, Rock Phosphate Mines, Hematite Mines, Marble and Calcite Mines, Uranium Mines, Mica Mines, Lignite Mines, Gravel Mines, Slate and Magnetite Mines.

**CLASSIFICATION OF AREA**

<b>AREA - "A"</b>					
Ahmedabad	(UA)	Hyderabad	(UA)	Faridabad complex	
Bangaluru	(UA)	Kanpur	(UA)	Ghaziabad	
Kolkata	(UA)	Lucknow	(UA)	Gurgaon	
Delhi	(UA)	Chennai	(UA)	Noida	
Greater Mumbai	(UA)	Nagpur	(UA)	Secunderabad	
Navi Mumbai		Pune	(UA)		
<b>AREA - "B"</b>					
Agra	(UA)	Gwalior	(UA)	Port Blair	(UA)
Ajmer	(UA)	Hubli-Dharwad	(M. Corpn)	Puducherry	(UA)
Aligarh	(UA)	Indore	(UA)	Raipur	(UA)
Allahabad	(UA)	Jabalpur	(UA)	Raurkela	(UA)
Amravati	(M. Corpn)	Jaipur	(M. Corpn)	Rajkot	(UA)
Amritsar	(UA)	Jalandhar	(UA)	Ranchi	(UA)
Asansol	(UA)	Jalandhar-Cantt.	(UA)	Saharanpur	(M. Corpn)
Aurangabad	(UA)	Jammu	(UA)	Salem	(UA)
Bareilly	(UA)	Jamnagar	(UA)	Sangli	(UA)
Belgaum	(UA)	Jamshedpur	(UA)	Shillong	
Bhavnagar	(UA)	Jhansi	(UA)	Siliguri	(UA)
Bhiwandi	(UA)	Jodhpur	(UA)	Solapur	(M. Corpn)
Bhopal	(UA)	Kannur	(UA)	Srinagar	(UA)
Bhubaneshwar	(UA)	Kochi	(UA)	Surat	(UA)
Bikaner	(M. Corpn)	Kolhapur	(UA)	Thiruvananthapuram	(UA)
Bokaro Steel City	(UA)	Kollam	(UA)	Thrissur	(UA)
Chandigarh	(UA)	Kota	(M. Corpn)	Tiruchirappalli	(UA)
Coimbatore	(UA)	Kozhikode	(UA)	Tiruppur	(UA)
Cuttack	(UA)	Ludhiana	(M. Corpn)	Ujjain	(M. Corpn)
Dehradun	(UA)	Madurai	(UA)	Vadodara	(UA)
Dhanbad	(UA)	Malappuram	(UA)	Varanasi	(UA)
Durgapur	(UA)	Malegaon	(UA)	Vasai- Virar City	(M. Corpn)
Durg-Bhilai Nagar	(UA)	Mangalore	(UA)	Vijayawada	(UA)
Erode	(UA)	Meerut	(UA)	Vishakhapatnam	(M. Corpn)
Firozabad		Moradabad	(M. Corpn)	Warangal	(UA)
Goa		Mysore	(UA)	Gorakhpur	(UA)
NandedWaghala	(M. Corpn)	GreaterVisakhapatnam	(M. Corpn)	Nasik	(UA)
Gulbarga	(UA)	Nellore	(UA)	Guntur	(UA)
Panchkula	(UA)	Guwahati	(UA)	Patna	(UA)

**Area 'C'** will comprise all areas not mentioned in this list.

**NB:** U.A. stands for Urban Agglomeration.

**ANNEXURE REFERRED TO IN REPLY TO PART (c) & (d) OF LOK SABHA UN-STARRED QUESTION No. 1371 FOR 25.07.2022 REGARDING MINIMUM WAGES.**

**Details of Inspections, Prosecutions and Convictions done under the Minimum Wages Act, 1948**

<b>Particulars</b>	<b>No. of Inspections Conducted</b>	<b>No. of Irregularities detected</b>	<b>No. Irregularities Rectified</b>	<b>No. of Prosecutions Launched</b>	<b>No. of Convictions</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
2019-20	7690	59950	23397	1609	412
2020-21	2114	13949	7566	501	174
2021-22	5022	35983	8726	492	167

**Claim cases under Minimum Wages Act, 1948**

<b>Year</b>	<b>CLAIMS FILED UNDER MINIMUM WAGES ACT, 1948</b>			
	<b>FILED</b>	<b>DECIDED</b>	<b>AWARDED</b>	<b>No. of WORKERS BENEFITED</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
2019-20	3470	754	Rs. 217981002/-	5297
2020-21	3763	1334	Rs. 270202177/-	7631
2021-22	5297	2102	Rs. 177722490/-	7487

\*\*\*\*\*